न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 19/2010

निर्णय दिनांक:– 20.8.2018

उनवान

1.प्रकाश पुत्र मोहन जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
1/1.सुशीला बेवा प्रकाश जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
1/2.विशाल पुत्र प्रकाश जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
1/3.कोमल पुत्र प्रकाश जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
1/4.सेना पुत्री प्रकाश जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
1/5.मनचेता पुत्री प्रकाश जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
2.धर्मा पुत्र मोहन जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
3.अशोक पुत्र मोहन जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
4.भूली बेवा मोहन जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
5.प्रहलाद पुत्र रामभज्या जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
6.डाली पुत्री रामभज्या जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
7.जगन्नाथी बेवा रामभज्या जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
8.प्रभु पुत्र काल्या जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
8/1.रमेश पुत्र प्रभु जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
8/2.गोरा पुत्री प्रभु जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
8/3.शिमला पुत्री प्रभु जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
9.गोरधन पुत्र चोथमल जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
10.कैलाश पुत्र चोथमल जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
11.मुकेश पुत्र चोथमल जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक
12.मेसी बाई बेवा चोथमल जाति धाकड निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:– श्री पी0सी0जैन कासलीवाल, वकील वादीगण
पेरोकार राज तहसीलदार उनियारा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी साबिका ख0न0 19 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा मे स्थित है। जिसमे 1/3 हिस्सा रामभज्या का,

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx197

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

1/3 हिस्सा काल्या का तथा 1/3 हिस्सा सुक्खा का है। जिसके अनुसार आज भी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। साबिका ख0न0 19 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम कचरावता के हाल सेटलमेन्ट मे नये ख0न0 73 रकबा 0.90 है0 बना दिये जिसे गलत रूप से सिवायचक मे दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर आज भी वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। हाल सेटलमेन्ट को उक्त आराजी सिवायचक तथा रकबा कम किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी साबिका ख0न0 19 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा हाल ख0न0 73 रकबा 0.90 है0 को हाल सेटलमन्ट द्वारा किये गये इन्द्राज सिवायचक व कम किये रकबे को दुरूस्त किया जाकर हाल सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी व शीट के अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे दर्ज किया जाना न्यायहित मे उचित एवं आवश्यक है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि यह घोषणा की जावे कि साबिका ख0न0 73 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। कम किये गये रकबे को सिवायचक मे दर्ज कर दिया जिसे साबिकजमाबन्दी व शीट के अनुसार दुरूस्त किया जाकर 12 बीघा 17 बिस्वा की हद तक वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे अंकित किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे उक्क्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की और से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा ने जवाब दावा प्रस्तुत नही करने के कारण दिनांक 21.2.2018 को जवाब दावा बन्द किया गया।

वादी वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नोटिस प्रदर्श 1, रसीद डा0खाना प्रदर्श 2 व 3, प्राप्ति स्वीकृति रसीद प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 5, नकल रसीद पेनेल्टी प्रदर्श 6, नोटिस धारा 91 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 10, नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत सम्वत 2064 प्रदर्श 11, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 12 व प्रदर्श 13, नकल जमाबन्दी सम्वत 20354 प्रदर्श 14 पेश किये है।

वादी वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी.डब्लू. 1 रमेश, पी.डब्लू. 2 प्रहलाद व पी.डब्लू. 3 लक्ष्मीनारायण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहरान करते हुये कथन किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी साबिका ख0न0 19 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा हाल ख0न0 73 रकबा 0.90 है0 को हाल सेटलमन्ट द्वारा किये गये इन्द्राज सिवायचक व कम किये रकबे को दुरूस्त किया जाकर हाल सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी व शीट के अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे दर्ज किया जावे। वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा ने बहस मे कथन किया कि खसरा नम्बर 73 की किस्म गे0मु0 नाला होने से उक्त भूमि मे खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे भी माननीय उच्च न्यायालय ने गे0मु0 नाला एवं अन्य जलोद भूमियों मे खातेदारी अधिकार नही दिये जाने निर्णय पारित किया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 मे भी गे0मु0 नाला की भूमि मे खातेदारी अधिकार नही दिये जाने का प्रावधान है। वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 14 नकल जमाबन्दी सम्वत 2034 वाके ग्राम कचरावता मे साबिक आराजी ख0न0 19, 20, 44, 117/2, 195, 196, 197/2, 393/1/3, 234/1, 420/2, 423/2, 520, 420/1, 421,422, 198/493, 198/495 कुल किता 15 कुल रकबा 57 बीघा 11 बिस्वा रामभज्या पुत्र श्योनाथ हि0 1/3 व काल्या सुखा पि0 कंवरियां हि0 2/3 धाकड सा0 देह हि0 बराबर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 12 नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 19 मि0 से हाल ख0न0 73 रकबा 0.83 है0 कायम हुये है। प्रदर्श 5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 वाके ग्राम कचरावता मे हाल आराजी ख0न0 11, 171, 424, 436, 441, 578, 582, 585, 74 कुल किता 11 कुल रकबा 2.89 सरवना पुत्र श्योनाथ जाति धाकड सा0 देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा उनियारा दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 8 नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 वाके ग्राम कचरावता मे हाल आराजी ख0न010, 169, 170, 21, 22, 290, 421, 423, 435, 437, 439, 440, 573, 579, 580, 586, 75 कुल किता 17 कुल रकबा 7.03 प्रकाश धर्मा अशोक पुत्रान भूली बेवा मोहन प्रहलाद पुत्र डाली पुत्री व जगन्नाथी बेवा रामभज्या हि. 1/2, ईश्वर सत्यनारायण पुत्र काना छोटी बेवा काना हि0 1/2 जाति धाकड रहन एस.बी.बी.जे. शाखा उनियारा दर्ज रिकार्ड है। ना.क.स. 217 द्वारा प्रकाश धर्मा पुत्र मोहन का हि. 1/8 रहन दी से.का.बैंक शाखा उनियारा के नाम मुर्तहलन दर्ज करना स्वीकार हुआ। ना.क.स. 223 द्वारा प्रहलाद पुत्र डाली पुत्री व जमना बेवा रामभज का हि. 3/8 मे से 1/4 रहन अरावली क्षै.ग्रा.बैंक शाखा उनियारा के नाम दर्ज करना स्वीकार हुआ। प्रदर्श 9 नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 वाके ग्राम कचरावता मे हाल आराजी ख0न0 12, 168, 20, 420, 425, 434, 442, 523, 524, 566, 567, 574, 576, 577, 581, 583, 70, 71 कुल किता 18 कुल रकबा 11.01 प्रभुलाल पुत्र काल हि. 1/2 गोरधन केलाश मुकेश पि0 चोथमल मेसी बाई पत्नी चोथमल हि. 1/4 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा उनियारा गोरधन कैलाश मुकेश पि0 चोथमल हि0 1/4 दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा वाद केवल एक ही साबेक ख0न0 19 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा को लेकर प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा साबिक व हाल राजस्व नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत नही की गई है। खसरा नम्बर 73 की किस्म गे0मु0 नाला होने से उक्त भूमि मे खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे भी माननीय उच्च न्यायालय ने गे0मु0 नाला एवं अन्य जलोद भूमियों मे खातेदारी अधिकार नही दिये जाने निर्णय पारित किया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 मे भी गे0मु0 नाला की भूमि मे खातेदारी अधिकार नही दिये जाने का प्रावधान है। वादीगण को दौराने सेटलमेन्ट पर्चा लगान जारी कर उज्रदारी चाही गई थी। यदि वादीगण को तत्समय कोई आपत्ति थी तो अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। वादीगण ने क्लीन हेण्ड से वाद प्रस्तुत नही किया है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner